| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br><br>ललिता देवी बनाम लोक सूचना अधि0 (कोषाधिकारी धौलपुर)<br><br>प्रथम अपील, (मु0संख्या 14 / 2022)<br>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2022 / 24) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 18-04-2022 | अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः पेंशन / 2022 / 1387 दिनांक 11.4.2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई बिन्दु संख्या 1लगा03 की सूचना, अपीलार्थी श्रीमती ललितादेवी पत्नी स्व0 श्री हरीबावू निवासी किरी पुराना शहर धौलपुर को उनके कार्यालय के पत्र कमांक 1386 दिनांक 11.04.2022 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डांक से भिजवाई जा चुकी है। जिसके पत्र की प्रति पेश की है।<br><br>अतः इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई बांछित सूचना अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी धौलपुर के पत्र कमांक 1386 दिनांक 11.04.2022 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डांक से भिजवाई जा चुकी है। पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो नम्बर से कम की जावे।<br><br>(आर0 के0 जायसवाल)<br>जिला कलक्टर, धौलपुर | |